

## प्रेस नोट

पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के निर्देशन में दिनांक:- 12.04.2025 को जनपद में अपराधियों के विरुद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण:-

- थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा अ0सं0-122/25 धारा 191(2)/190/196/299/109/125/352/351(2)/300 बीएनएस में वांछित अभियुक्तगण 1.उजेर अहमद पुत्र स्व0 मुख्तार अहमद 2.मोहम्मद बिलाल पुत्र स्व0 मुख्तार अहमद नि0गण बाजार बार्ड अमरोदा थाना भोगनीपुर कानपुर देहात (वांछित) को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना सट्टी पुलिस द्वारा अ0सं0 13/25 धारा 64(2)एम/137(2)/87/351(3) बीएनएस व 5एल/6 पास्को एक्ट में वांछित अभियुक्त मनीष यादव पुत्र रमेश यादव नि0 ग्रा0 जंहागीरपुर थाना सट्टी कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा अ0सं0 131/25 धारा 87/137(2)/64(1) भारतीय न्याय संहिता व 3/4 पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त विशाल गौतम पुत्र संतोष कुमार निवासी रायपुर मौजा अटीया रायपुर थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा अ0सं0 137/25 धारा धारा 109(1)/352/3(5) भारतीय न्याय संहिता व 3/25 आर्म्स एक्ट में वांछित अभियुक्त मोहित सिंह पुत्र स्व0 दिलीप सिंह निवासी रतनपुर थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना शिवली पुलिस द्वारा अ0सं0 96/25 धारा 91(1)/191(2)/109(1)/140(1) बीएनएस 3(5) बीएनएसएस में वांछित अभियुक्त संदीप पाल पुत्र स्व0 जयकरन नि0 घड़ीयनपुरवा थाना सचेन्डी का0नगर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा अ0सं0 126/2025 धारा धारा 60 आबकारी अधिनियम में अभियुक्त सुमित सिंह के कब्जे से 20 देशी क्वार्टर ट्विन टावर ब्राण्ड बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।

जनपद में शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 10 व्यक्तियों के विरुद्ध थानावार क्रमशः जिसमें थाना गजनेर पुलिस द्वारा 03 व्यक्तियों, थाना रनियां पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना डेरापुर पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना बरौर पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों व थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति का धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अन्तर्गत चालान किया।

